ग्राम पंचायत भलेटा, विकास खण्ड नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176201
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भलेटा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अभिलाषा रानी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजय कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कृष्ण कुमार	01/04/2022 से 09/01/2023
2.	श्री रजिन्दर डडवाल	10/01/2023 से 31/03/2023
3.	श्री रविंद्र कुमार	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गगन चंद	01/04/2022 से 12/09/2023
2.	श्री सुभाष चंद	13/09/2023 से 30/11/2023
3.	श्री गगन चंद	01/12/2023 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत भलेटा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	**0.14**
2.	4.7	14वां वित्त आयोग रोकड़ बही में अनुचित/असमर्थित समायोजन प्रविष्टि पाया जाना	**3.36**
3.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**30.47**
4.	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**3.11**
5.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	**9.27**
6.	8.2	बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करना	**0.40**
7.	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करना	**0.69**
8.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए	**9.27**

		बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	
9.	8.5	पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करना	**24.12**
10.	8.6	GEM Portal से शौचालय के क्रय हेतु अनियमित/अनुचित भुगतान का पाया जाना	**10.50**
11.	8.7	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**7.97**
12.	8.8	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**7.97**
13.	9.1	व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना	**1.00**
14.	9.2	प्रगतिशील कार्यों से संबंधित सामग्री खरीद हेतु अनियमित भुगतान का पाया जाना	**6.49**
15.	9.3	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत अपेक्षाकृत अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान पाया जाना	**3.30**
16.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण हि० प्र० राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे	**0.02**
17.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे	**0.06**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भलेटा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक</u>

क्र० सं०	**पैरा सं०**	**नवीनतम स्थिति**
1.	3	निर्णीत (मांग व प्राप्ति रजिस्टर पेज-125 से अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि के दृष्टिगत)
2.	4	निर्णीत (वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)

3.	4.1	अनिर्णीत
4.	4.2	अनिर्णीत
5.	5	अनिर्णीत
6.	5.1	अनिर्णीत
7.	6	निर्णीत (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
8.	6.1	अनिर्णीत
9.	7	अनिर्णीत
10.	7.1	निर्णीत (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
11.	7.2	अनिर्णीत
12.	8	अनिर्णीत
13.	9	अनिर्णीत
14.	10	अनिर्णीत
15.	11	अनिर्णीत
16.	12	अनिर्णीत
17.	13	अनिर्णीत
18.	14	अनिर्णीत

उपरोक्त तालिका अनुसार शेष पैरों की नवीनतम स्थिति से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जो कि अंकेक्षण के प्रति ग्राम पंचायत भलेटा की उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः शेष अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु नियमानुसार एवं अंकेक्षण सुझावानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाते हुये समर्थित सत्यापित अभिलेख सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भलेटा, विकास खण्ड नूरपुर, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02.01.2025 से 18.01.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया।

आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	**आय (माह)**	**व्यय (माह)**
2022-23	04/2022	05/2022
2023-24	12/2023	06/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹7200/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 17/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 52/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 36/2024 दिनांक 02.01.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	387375.00	266653.54	654028.54	285564.00	368464.54
2023-24	368464.54	754195.00	1122659.54	357461.00	765198.54

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	2823520.00	7143238.57	9966758.57	6561110.57	3405648.00
2023-24	3405648.00	5698944.77	9104592.77	6057259.20	3047333.57

कुल योग (1+2) = 765198.54+ 3047333.57 = **3812532.11**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹38,12,532.11** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹38,26,119.44 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक गत शेष 01.04.2022
1.	सभा निधि (OWN SOURCE) मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना (MMKPY) 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC) गुरु रविदास योजना (GRDY) मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.) क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP) राज्य आपदा राहत कोश (SDRF) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) इंदिरा आवास योजना (IAY)	के०सी०सी०बी० जसूर	20032005683	₹12,87,434.87

	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)			
2.	सभा निधि (OWN SOURCE) ज़िला परिषद (ZP)	के०सी०सी०बी० जसूर	50051936344	₹ 437.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० जसूर	50055869724	₹ 40,311.00
4.	इंदिरा आवास योजना (IAY)	के०सी०सी०बी० जसूर	50055869554	₹ 4,082.00
5.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	के०सी०सी०बी० जसूर	20032006518	₹ 44,375.92
6.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP) अंशदान	के०सी०सी०बी० जसूर	20032006483	₹ 10,288.65
7.	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	के०सी०सी०बी० जसूर	50055019573	₹ 1.00
8.	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	ICICI जसूर	374401000213	₹ 24,37,622.00
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 1,567.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :-			₹ 38,26,119.44
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹38,26,119.44**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**₹38,12,532.11**
	अंतर :-			**₹ 13,587.33**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.14 लाख के अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹13,587.33** की राशि का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/भलेटा दिनांक 03.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये थे, जोकि अनियमित है।

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	के०सी०सी०बी० जसूर	20032005683
	मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना (MMKPY)		

	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)		
	गुरु रविदास योजना (GRDY)		
	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)		
	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)		
	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)		
	राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)		
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)		
	इंदिरा आवास योजना (IAY)		
	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)		
2.	सभा निधि (OWN SOURCE) ज़िला परिषद (ZP)	के०सी०सी०बी० जसूर	50051936344
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० जसूर	50055869724
4.	इंदिरा आवास योजना (IAY)	के०सी०सी०बी० जसूर	50055869554

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/भलेटा दिनांक 03.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 36/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज (PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना (MMKPY) एवं अनुदान ज़िला परिषद (ZP) के आय व्यय का लेखांकन सभा निधि रोकड़ बही में किया जा रहा था व इसके अलावा अनुदान राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के आय व्यय का लेखांकन क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.) रोकड़ बही में किया जा रहा था जोकि अनियमित है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई-ग्राम स्वराज) पर रोकड़ बहियों के संचालन बारे जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/भलेटा दिनांक 03.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 IWDP एवं IWDP (अंशदान) की रोकड़ बहियों को PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर संधारित न करने बारे:-

निदेशक-एवं-विशेष सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में

खातों का रख-रखाव करने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाएँ दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले रोकड़ बहियों को Online mode पर संधारित करेंगी और उसके बाद Manual Mode (हस्तलिखित) को बंद कर दिया जाएगा।

अंकेक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP) एवं एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP) अंशदान के आय व्यय हेतु हस्तलिखित रोकड़ बही प्रस्तुत की गई है जोकि अनियमित है एवं उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों के विपरीत है। पंचायती राज संस्थाओं को सुद्दढ़ करने, बहुमूल्य मानवश्रम की बचत करने तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "E-Gram Swaraj" के नाम से राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल का संचालन किया जा रहा है व ग्राम पँचायत द्वारा इस सुविधा का पूर्ण लाभ न उठाते हुये हस्तलिखित रोकड़ बही का संचालन करने के कारण सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करके चलाये जा रहे "E-Gram Swaraj" पोर्टल को स्थापित करना ही निरुद्देश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित रोकड़ बही को अनुरक्षित करने में व्यर्थ किये जा रहे बहुमूल्य मानवश्रम के कारण पंचायत की अन्य गतिविधियाँ भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/भलेटा दिनांक 03.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP) एवं एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP) अंशदान की रोकड़ बहियों को नियमानुसार संधारित कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.5 14वां वित्त आयोग रोकड़ बही में राशि ₹3.36 लाख की अनुचित/असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: में प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान 14वां वित्त आयोग (14^{th} FC) रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड़ बही में राशि **₹3,36,242.00** की भुगतान प्रविष्टि दर्ज की गई थी, जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिसके समर्थन में कोई बिल/ समर्थित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं :-

क्र०सं०	**दिनांक**	**वाउचर सं०**	**रोकड़ बही अनुसार भुगतान का विवरण**	**राशि (₹)**
01	01.04.2022	FFC/2022-23/P/1	Bank Balance Nil	**3,33,590.00**
02	01.04.2022	FFC/2022-23/P/2	Bank Balance Nil	**2,652.00**
			कुल योग	**3,36,242.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 43/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि केवल रोकड़ बही का बैंक से मिलान करने हेतु उक्त प्रविष्टि रोकड़ बही में दर्ज की गई थी जबकि वास्तव में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर 14वां वित्त आयोग (14^{th} FC) रोकड़ बही की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं

असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/भलेटा दिनांक 03.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹30.47 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 36/2024 दिनांक 02.01.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹30,47,333.57** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/भलेटा दिनांक 03.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके शेष अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया

जा सकता। अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही थी अथवा नहीं ?

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/भलेटा दिनांक 03.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/भलेटा दिनांक 03.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (***Update)*** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹3.11 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/भलेटा दिनांक 04.01.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 40/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹3,11,380.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी

सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹9.27 लाख के अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - "ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹9,26,872.16** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/भलेटा दिनांक 06.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 45/भलेटा दिनांक

13.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया कि आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है एवं यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः राशि **₹9,26,872.16** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.40 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के भवनों एवं सडकों के लिए निर्माण सामग्री सम्बन्धी अध्याय 2 के पैरा (2.1.2.13) में बजरी (Aggregate) एवं पत्थरों (Stone/Boulders) के आकार अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एवं 12.5% की दर से करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹6,34,078.16** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹39,833.51** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/भलेटा दिनांक 06.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 46/भलेटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आश्वासन दिया गया कि अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा देगी। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है एवं यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से की जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.69 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद

अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 एवं 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹34,54,768.16** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹69,095.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/भलेटा दिनांक 06.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 47/भलेटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है एवं यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी.

टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹9.27 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं ।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹9,26,872.16** के स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - "ज "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/भलेटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48/भलेटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 राशि ₹24.12 लाख के पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करने बारे: -

पंचायती राज विभाग, हि०प्र० की अधिसूचना पृष्ठांकन संख्या ***RDD-XEN/2018-e-Tendring-4152-648*** दिनांक ***17*** जुलाई, ***2018*** के अनुसार पंचायती राज विभाग सामग्री, सेवाओं तथा 5 लाख एवं इससे अधिक राशि के अनुमानित मूल्यों के कार्यों के निष्पादन हेतु ई खरीद टेंडर निविदा प्रणाली को अपनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अंकेक्षण हेतु चयनित व्यय माह 05/2022 एवं 06/2023 के बिल /वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत ई-खरीद टेंडर प्रणाली की प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना ही **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹24,11,971.00** के पेवर ब्लॉक खरीदे गये जोकि अनियमित एवं अनुचित प्रक्रिया है और यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। पेवर ब्लॉक क्रय से संबंधित बिल /वाउचरों के अवलोकन पर पाई गई आपत्तियाँ निम्नलिखित है :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50,000.00 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रों द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित है।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा ई-निविदा खरीद टेंडर प्रणाली अपनाने के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत न करना।

(ग) हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप-समिति का गठन नहीं किया गया था।

(घ) सचिव (RD&PR) हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक (**Controller of store)** की दर संविदा (**Rate Contract)** अथवा **Gem Portal** पर अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर किया जाना वांछित था तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान "It will be

mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate. Before placing the supply, order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded technical sanction" को भी खरीद से पूर्व सुनिश्चित नहीं किया गया था।

यदि वांछित सामग्री हि० प्र० सरकार के भंडार नियंत्रक के **Rate Contract** अथवा **Gem Portal** पर उपलब्ध नहीं होती तो पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से नियमानुसार ई-खरीद टेंडर प्रणाली अमल में ला करके किया जा सकता था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। पंचायत को व्यापक प्रचार के कारण होने वाली बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने हेतु नियमानुसार अपेक्षित पारदर्शी कार्यवाही अमल में लाने के फलस्वरूप होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/भलेटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48/भलेटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पेवर ब्लॉक की खरीद खुले बाजार से निविदाओं के आधार पर न्यूनतम दर अनुमोदित करने उपरांत की गई है तथा भविष्य में वर्णित नियमों की पूर्ण अनुपालना सहित ही पेवर ब्लॉक का क्रय किया जाएगा। प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है। उक्त अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण हेतु समर्थित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त मामला पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

8.6 GEM Portal से शौचालय के क्रय हेतु राशि ₹10.50 लाख के अनियमित/अनुचित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (विनियमन) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या फिन (सी) ए (3) 5/2004 दिनांक 12 फरवरी, 2020 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम-**94 ए** में किए गये संशोधन अनुसार GeM पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली (Online bidding) और ऑनलाइन रिवर्स नीलामी (Reverse Auction) के साधनों का उपयोग करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान शीर्ष स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के अंर्तगत GEM Portal से राशि **₹10,50,000.00** मूल्य के **परिशिष्ट** - **" ञ "** पर संलग्न विवरणानुसार शौचालयों का क्रय GeM पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली (Online bidding) और ऑनलाइन रिवर्स नीलामी (Reverse Auction) के साधनों के उपयोग बिना किया गया, जोकि अनियमित/अनुचित है परिणामस्वरूप GEM Portal के संचालन का मूल उद्देश्य जोकि सरकारी संस्थानों को उचित दामों पर वस्तुएं क्रय हेतु माध्यम उपलब्ध करवाना विफल हो जाता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्रय से संबंधित प्रस्तुत बिलों के अनुसार पंचायत द्वारा उपरोक्त राशि के शौचालयों का क्रय दो अलग-अलग Firm/Supplier/Vendor से किया गया (SITC Associate, GST No. 03ADZFS6733N1Z6 से राशि **₹6,30,000.00** एवं B R Impex, GST No. 03CGHPS3895N1ZM से राशि **₹4,20,000.00**) जबकि PPA (Print Payment Advice) के अनुसार पंचायत ने कुल व्यय राशि **₹10,50,000.00** का भुगतान SITC Associate के बैंक खाता संख्या **366801000400** को किया जोकि स्वतः ही इस खरीद पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। शौचालयों के क्रय हेतु औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण न करना एवं समस्त भुगतान एक ही बैंक खाते में करने के कारण प्रथम दृष्ट्या Firm/Supplier/Vendor को अनुचित लाभ पहुंचाया गया प्रतीत होता है परिणामस्वरूप शौचालयों के क्रय हेतु व्यय राशि के दुर्विनियोजन/गबन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/भलेटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 49/भलेटा दिनांक 13.01.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि GEM Portal से शौचालय की खरीद हेतु विकास खण्ड कार्यालय, नूरपुर में SBM Coordinator श्री सन्नी साहन द्वारा GEM Portal संबंधी औपचारिकताएँ की गई व जिस अनुसार पंचायत द्वारा अदायगी की गई है। पंचायत को GEM Portal पर कार्य करने संबंधी कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ था जिस कारण क्रय से संबंधित औपचारिकताओं में त्रुटि रह गई।

अत: GEM Portal से शौचालयों के क्रय हेतु भुगतान को आगामी उच्च अधिकारी की जांच एवं सत्यापना उपरांत समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त मामला पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ पंचायत द्वारा GEM Portal पर की जा रही खरीद की विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है। उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रिम पैरा के रूप में भी प्रेषित किया गया है।

8.7 अग्रिम राशि ₹7.97 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹7,97,248.50** का अग्रिम भुगतान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ट "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.8 राशि ₹7.97 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर के UTR No./Delivery Challan/Gate Pass No. के आधार पर **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹7,97,248.50** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये तथा उनका समायोजन वास्तविक आपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख के आधार पर स्वतः पारदर्शी प्रविष्टियों युक्त अग्रिम समायोजन रजिस्टर में करना/दर्शाना सुनिश्चित करें।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण राशि ₹1.00 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा०वि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि

₹1,00,419.60 का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिससे से संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस बारे तकनीकी सहायक से चर्चा उपरांत त्रुटि स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है, कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षणावधि के दौरान आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये कुल भुगतानों को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाये व नियमानुसार कार्यों के भुगतानों को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की नियमानुसार गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना सहित वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 प्रगतिशील कार्यों से सम्बंधित सामग्री खरीद हेतु राशि ₹6.49 लाख के अनियमित भुगतान बारे:-

अवधि 2022-23 के मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) के पैरा संख्या 7.1.7(f) के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल मस्टर रोलों के भुगतान उपरांत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न प्रगतिशील कार्यों हेतु राशि **₹6,48,669.00** का भुगतान पेवर ब्लॉक क्रय करने हेतु किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ढ "** पर संलग्न है जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि जल्द ही समस्त कार्यों को पूर्ण कर क्रय की गई सामग्री की खपत कर ली जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: राशि **₹6,48,669.00** के भुगतान को समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए और संबंधित प्रगतिशील कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर आगामी उच्च अधिकारी की जांच एवं सत्यापना उपरांत वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार उक्त असंगत राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत राशि ₹3.30 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के अंर्तगत निम्न तालिका अनुसार निष्पादित निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिका, बिल, वॉउचर इत्यादि के अंकेक्षण पर निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत राशि **₹3,30,196.00** का अपेक्षाकृत अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान पाया गया, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ण"** से **"फ"** तक पर संलग्न है। माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा नियमानुसार भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था एवं सामग्री के बिलों को तकनीकी सहायक द्वारा भुगतान से पूर्व सत्यापित नहीं किया गया था। प्रथम दृष्ट्या इस राशि का दुर्विनियोजन/गबन किया गया प्रतीत होता है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अतिरिक्त भुगतान की गई राशि	परिशिष्ट
1	C/o Jeepable Road from Kripal Singh House to Shishupal Hari Singh House WN 08	₹ 74,285.00	**ण.**
2	C/o Drain / Path Harijan Basti WN 09	₹ 35,280.00	**त.**
3	C/o Jeep Jogya Rastta SC Basti se Talota village Bhaleta WN 01	₹ 65,433.00	**थ.**

4	C/o Protection Work Surjeet Singh Tilak Raj Khushi Ram etc. Bhaleta WN 01	₹ 17,238.00	द.
5	C/o Protection Work / Khudhai Talab WN 06 GP Bhaleta	₹ 3,162.00	ध.
6	C/o Jeep Jogya Rastta Neter Singh Surjeet Ravinder WN 03	₹ 24,182.00	न.
7	C/o Adhura Jeep Jogya Path Pully se laker Talab tak WN 06	₹ 4,780.00	प.
8	C/o Path main Rastta se Chiv Mohalla WN 01	₹ 1,05,836.00	फ.
	कुल जोड़	**₹ 3,30,196.00**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 15/2024/भलेटा दिनांक 17.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 50/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि तथ्यों की पुष्टि उपरांत अनियमित माप गणना एवं खपत से अधिक सामग्री क्रय बारे तकनीकी सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक से चर्चा उपरांत त्रुटि स्वीकार की जाती है व अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि इस विषय में पंचायत जांच कर उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा देगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना उपरांत समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार उक्त असंगत राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त प्रकरण पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकार के अन्य मामले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिस कारण विभागीय स्तर पर पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों की विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है। उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रिम पैरा के रूप में भी प्रेषित किया गया है।

9.4 विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप

पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा पारित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए 3.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान पैरा 9.3 अनुसार **परिशिष्ट "ण"** से **"फ"** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में माप पुस्तिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करवाए बिना भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था। फलस्वरूप किये गये भुगतानों की तकनीकी रूप से नमूना जांच एवं सत्यापना के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.5 राशि ₹38.05 लाख के बिल/वाउचरों एवं मस्ट्रोलों को भुगतान हेतु पारित न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित बिल/वाउचरों एवं मस्ट्रोलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 एवं

06/2023 के दौरान राशि **₹38,04,567.10** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये कार्यवाही रजिस्टर में पारित किए बिना किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है और यह स्वतः पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि भविष्य में मनरेगा के अंतर्गत समस्त भुगतानों को पारित करना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.02 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹1,600.00** वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ब"** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 44/भलेटा दिनांक 06.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं किया गया तथा उक्त राशि को पंचायत द्वारा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त करके सभा निधि खाता में जमा करवा कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व हानि : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹5,500.00,** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ब "** पर संलग्न है, को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 44/भलेटा दिनांक 06.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखांव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना	29 (1 से 3)	07
4.	वर्गीकृत सार रजिस्टर	29 (4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
13.	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101(2)

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	कर रजिस्टर	34	```
6.	विकास कार्यों का लेखा-जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 41/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर में से निम्नलिखित रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
3.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
4.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
5.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42/भलेटा दिनांक 04.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर

लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16/2024/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51/भलेटा दिनांक 18.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में क्रियान्वयन बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण PRIASoft लेखा प्रणाली में लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

1912-1916 02 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)121/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत भलेटा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 APR 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत भलेटा, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176201

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BHALETA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	387375.00	266653.54	654028.54	285564.00	368464.54
2023-24	368464.54	754195.00	1122659.54	357461.00	765198.54

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2823520.00	7143238.57	9966758.57	6561110.57	3405648.00
2023-24	3405648.00	5698944.77	9104592.77	6057259.20	3047333.57

सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर, कांगड़ा (हि.प्र.)

39

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत भलेटा, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176201

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BHALETA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2022-23	63980.00	238140.00	302120.00	293300.00	8820.00
		2023-24	8820.00	357022.00	365842.00	255054.00	110788.00
2	VKVNY	2022-23	75593.00	210000.00	285593.00	106562.00	179031.00
		2023-24	179031.00	429905.00	608936.00	456087.00	152849.00
3	SDP/ SDRF	2022-23	69856.00	40000.00	109856.00	99714.00	10142.00
		2023-24	10142.00	330000.00	340142.00	203332.00	136810.00
4	MMGPY	2022-23	11469.00	0.00	11469.00	0.00	11469.00
		2023-24	11469.00	190000.00	201469.00	38793.00	162676.00
5	MPLADS	2022-23	0.00	400000.00	400000.00	321060.00	78940.00
		2023-24	78940.00	100000.00	178940.00	177560.00	1380.00
6	GRDY	2022-23	32136.00	0.00	32136.00	0.00	32136.00
		2023-24	32136.00	0.00	32136.00	0.00	32136.00
7	RGSA	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	489.00	489.00	0.00	489.00
8	IAY	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	14TH FC	2022-23	336242.00	0.00	336242.00	336242.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	15TH FC	2022-23	2182680.00	1896202.00	4078882.00	993772.00	3085110.00
		2023-24	3085110.00	1071430.00	4156540.00	1760999.00	2395541.00
11	IWDP	2022-23	41860.00	1026.92	42886.92	42886.92	0.00
		2023-24	0.00	44375.92	44375.92	0.00	44375.92
12	IWDP (अंशदान)	2022-23	9704.00	238.65	9942.65	9942.65	0.00
		2023-24	0.00	10288.65	10288.65	0.00	10288.65
13	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	1050000.00	1050000.00	1050000.00	0.00
14	PMAGY (PFMS)	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	681261.00	681261.00	681261.00	0.00
15	MNREGA	2022-23	0.00	4357631.00	4357631.00	4357631.00	0.00
		2023-24	0.00	1434173.20	1434173.20	1434173.20	0.00

सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " **4 (ख)** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत भलेटा, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० - 176201

ग्राम पंचायत भलेटा के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक गत शेष 01.04.2022	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1.	सभा निधि (OWN SOURCE) मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना (MMKPY) 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC) गुरु रविदास योजना (GRDY) मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.) क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP) राज्य आपदा राहत कोश (SDRF) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) इंदिरा आवास योजना (IAY) विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० जसूर	20032005683	₹ 5,11,271.33	₹ 12,87,434.87	₹ 13,32,264.87	₹ 13,62,326.54
2.	सभा निधि (OWN SOURCE) ज़िला परिषद (ZP)	के०सी०सी०बी० जसूर	50051936344	₹ 737.00	₹ 437.00		
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० जसूर	50055869724	₹ 38,153.00	₹ 40,311.00		
4.	इंदिरा आवास योजना (IAY)	के०सी०सी०बी० जसूर	50055869554	₹ 3,969.00	₹ 4,082.00		
5.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP)	के०सी०सी०बी० जसूर	20032006518	₹ 41,860.00	₹ 44,375.92	₹ 44,375.92	₹ 44,375.92
6.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWDP) अंशदान	के०सी०सी०बी० जसूर	20032006483	₹ 9,704.00	₹ 10,288.65	₹ 10,288.65	₹ 10,288.65
7.	14वाँ वित्तायोग (14^{TH} FC)	के०सी०सी०बी० जसूर	50055019573	₹ 0.00	₹ 1.00	₹ 1.00	₹ 0.00
8.	15वाँ वित्तायोग (15^{TH} FC)	ICICI जसूर	374401000213	₹ 21,97,003.00	₹ 24,37,622.00	₹ 24,37,622.00	₹ 23,95,541.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 1,468.00	₹ 1,567.00	₹ 1,567.00	₹ 0.00
			कुल योग	**₹ 28,04,165.33**	**₹ 38,26,119.44**	**₹ 38,26,119.44**	**₹ 38,12,532.11**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹ 38,26,119.44**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**₹ 38,12,532.11**
अंतर :-	**₹ 13,587.33**

सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

41

(परिशिष्ट " **घ** ", पैरा संख्या " **7.1** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत भलेटा, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा हि०प्र०176201

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकरः-

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 880 का ₹50/- तथा 2023-24 में 890 परिवारों का व ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 2,22,880.00	880	₹ 50.00	₹ 44,000.00	₹ 2,66,880.00	₹ 0.00	₹ 2,66,880.00
2023-24	₹ 2,66,880.00	890	₹ 50.00	₹ 44,500.00	₹ 3,11,380.00	₹ 0.00	₹ 3,11,380.00
	नोटः- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹3,11,380/-** है।						

Vijay Kumar

सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर, जिला (हि.प्र.)

42

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 9.27 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-2023								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	फार्म X / फार्म Y
1.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	017/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	23.00 m^3	₹ 34,500.00	9	Not available
2.				Sand	₹ 1,200.00	12.00 m^3	₹ 14,400.00	7	Not available
3.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	14/ 14.02.2022	Agg.	₹ 1,500.00	59.00 m^3	₹ 88,500.00	9	Not available
4.				Sand	₹ 1,200.00	31.00 m^3	₹ 37,200.00	7	Not available
5.				Stone	₹ 700.00	11.00 m^3	₹ 7,700.00	11	Not available
6.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	015/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	60.00 m^3	₹ 90,000.00	9	Not available
7.				Sand	₹ 1,200.00	31.50 m^3	₹ 37,800.00	7	Not available
8.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	016/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	12.00 m^3	₹ 18,000.00	9	Not available
9.				Sand	₹ 1,200.00	6.00 m^3	₹ 7,200.00	7	Not available
10.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	018/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	8.80 m^3	₹ 13,200.00	9	Not available
11.				Sand	₹ 1,200.00	5.00 m^3	₹ 6,000.00	7	Not available
	वित्त वर्ष - 2023-24								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
12.	Anil Pathania	Nil/ 23.06.2023	162/ 27.03.2023	Sand	₹ 1,200.00	16.00 m^3	₹ 19,200.00	7	Not available
13.				Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	9	Not available
14.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	050/ 23.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	9	Not available
15.				Sand	₹ 1,200.00	11.00 m^3	₹ 13,200.00	7	Not available
16.				Boulder	₹ 700.00	3.00 m^3	₹ 2,100.00	11	Not available
17.	Anil Pathania	Nil/ 20.06.2023	043/ 05.08.2022	Agg	₹ 1,500.00	12.00 m^3	₹ 18,000.00	9	Not available
18.			042/ 05.08.2022	Sand	₹ 1,200.00	5.00 m^3	₹ 6,000.00	7	Not available
19.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	155/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	31.00 m^3	₹ 46,500.00	8	Not available
20.				Sand	₹ 1,200.00	17.00 m^3	₹ 20,400.00	7	Not available
21.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	157/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	26.00 m^3	₹ 39,000.00	8	Not available
22.				Sand	₹ 1,200.00	13.00 m^3	₹ 15,600.00	8	Not available
23.	Anil Pathania	Nil/ 20.06.2023	049/ 05.08.2022	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	9	Not available
24.				Sand	₹ 1,200.00	10.00 m^3	₹ 12,000.00	8	Not available
25.	Anil Pathania	Nil/ 21.06.2023	58/ 01.12.2022	Sand	₹ 1,111.00	15.00 m^3	₹ 16,665.00	8	Not available
26.				Agg 20mm	₹ 1,276.00	7.77 m^3	₹ 9,914.52	9	Not available
27.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	21.00 m^3	₹ 22,449.00	9	Not available

Ravinder Kumar

43

Bhaleta

Subhash Singh
G.R.S. [illegible]
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

55

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	फार्म X / फार्म Y
28.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	59/ 24.01.2023	Agg. 20mm	₹ 1,276.00	4.00 m^3	₹ 5,104.00	9	Not available
29.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	12.00 m^3	₹ 12,828.00	9	Not available
30.				Sand	₹ 1,111.00	17.00 m^3	₹ 18,887.00	8	Not available
31.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	60/ 13.03.2023	Agg 10mm	₹ 1,281.00	1.00 m^3	₹ 1,281.00	9	Not available
32.				Agg 20mm	₹ 1,276.00	8.00 m^3	₹ 10,208.00	9	Not available
33.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	10.00 m^3	₹ 10,690.00	9	Not available
34.				Sand	₹ 1,111.00	22.00 m^3	₹ 24,442.00	8	Not available
35.				Boulder	₹ 700.00	39.00 m^3	₹ 27,300.00	11	Not available
36.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	156/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	9	Not available
37.				Sand	₹ 1,200.00	15.00 m^3	₹ 18,000.00	8	Not available
38.				Boulder	₹ 700.00	22.00 m^3	₹ 15,400.00	11	Not available
39.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	153/ 15.03.2023	Sand	₹ 1,200.00	7.00 m^3	₹ 8,400.00	8	Not available
40.				Agg 20mm	₹ 1,500.00	3.60 m^3	₹ 5,400.00	10	Not available
41.				Agg 40mm	₹ 1,250.00	9.30 m^3	₹ 11,625.00	10	Not available
42.				Boulder	₹ 700.00	13.00 m^3	₹ 9,100.00	11	Not available
43.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	57/ 01.12.2022	Sand	₹ 1,200.00	2.00 m^3	₹ 2,400.00	8	Not available
44.				Agg 20mm	₹ 1,276.00	0.14 m^3	₹ 178.64	10	Not available
45.				Agg 40mm	₹ 700.00	3.00 m^3	₹ 2,100.00	10	Not available
	अनुदान शीर्ष : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)								
46.	Anil Pathania	MPLADS/2023-24/P/1 17.06.2023	104/ 30.10.2022	Sand	₹ 1,500.00	10.00 m^3	₹ 15,000.00	67	Not available
47.				Aggrigate	₹ 1,200.00	5.00 m^3	₹ 6,000.00	65	Not available
48.				Boulder	₹ 700.00	10.00 m^3	₹ 7,000.00	68	Not available
						कुल जोड़	₹ 9,26,872.16		

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bhaleta is true and as per records available at GP Bhaleta Ofiice.

Subhash Singh
G.R.S
G.P Bhaleta
Block Nurpur

सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹ 0.40 लाख का आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
	वित्त वर्ष - 2022-2023								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
1.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	017/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	23.00 m^3	₹ 34,500.00	5.00%	₹ 1,725.00
2.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	14/ 14.02.2022	Agg.	₹ 1,500.00	59.00 m^3	₹ 88,500.00	5.00%	₹ 4,425.00
3.				Stone	₹ 700.00	11.00 m^3	₹ 7,700.00	12.50%	₹ 962.50
4.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	015/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	60.00 m^3	₹ 90,000.00	5.00%	₹ 4,500.00
5.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	016/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	12.00 m^3	₹ 18,000.00	5.00%	₹ 900.00
6.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	018/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	8.80 m^3	₹ 13,200.00	5.00%	₹ 660.00
	वित्त वर्ष - 2023-24								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
7.	Anil Pathania	Nil/ 23.06.2023	162/ 27.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	5.00%	₹ 1,500.00
8.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	050/ 23.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	5.00%	₹ 1,500.00
9.				Boulder	₹ 700.00	3.00 m^3	₹ 2,100.00	12.50%	₹ 262.50
10.	Anil Pathania	Nil/ 20.06.2023	043/ 05.08.2022	Agg	₹ 1,500.00	12.00 m^3	₹ 18,000.00	5.00%	₹ 900.00
11.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	155/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	31.00 m^3	₹ 46,500.00	5.00%	₹ 2,325.00
12.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	157/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	26.00 m^3	₹ 39,000.00	5.00%	₹ 1,950.00
13.	Anil Pathania	Nil/ 20.06.2023	049/ 05.08.2022	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	5.00%	₹ 1,500.00
14.	Anil Pathania	Nil/ 21.06.2023	58/ 01.12.2022	Agg 20mm	₹ 1,276.00	7.77 m^3	₹ 9,914.52	5.00%	₹ 495.73
15.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	21.00 m^3	₹ 22,449.00	10.00%	₹ 2,244.90
16.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	59/ 24.01.2023	Agg. 20mm	₹ 1,276.00	4.00 m^3	₹ 5,104.00	5.00%	₹ 255.20
17.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	12.00 m^3	₹ 12,828.00	10.00%	₹ 1,282.80
18.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	60/ 13.03.2023	Agg 10mm	₹ 1,281.00	1.00 m^3	₹ 1,281.00	5.00%	₹ 64.05
19.				Agg 20mm	₹ 1,276.00	8.00 m^3	₹ 10,208.00	5.00%	₹ 510.40
20.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	10.00 m^3	₹ 10,690.00	10.00%	₹ 1,069.00
21.				Boulder	₹ 700.00	39.00 m^3	₹ 27,300.00	12.50%	₹ 3,412.50
22.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	156/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	5.00%	₹ 1,500.00
23.				Boulder	₹ 700.00	22.00 m^3	₹ 15,400.00	12.50%	₹ 1,925.00
24.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	153/ 15.03.2023	Agg 20mm	₹ 1,500.00	3.60 m^3	₹ 5,400.00	5.00%	₹ 270.00
25.				Agg 40mm	₹ 1,250.00	9.30 m^3	₹ 11,625.00	10.00%	₹ 1,162.50
26.				Boulder	₹ 700.00	13.00 m^3	₹ 9,100.00	12.50%	₹ 1,137.50
27.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	57/ 01.12.2022	Agg 20mm	₹ 1,276.00	0.14 m^3	₹ 178.64	5.00%	₹ 8.93
28.				Agg 40mm	₹ 700.00	3.00 m^3	₹ 2,100.00	10.00%	₹ 210.00
	अनुदान शीर्ष : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)								
29.	Anil Pathania	MPLADS/2023-24/P/1 17.06.2023	104/ 30.10.2022	Aggrigate	₹ 1,200.00	5.00 m^3	₹ 6,000.00	5.00%	₹ 300.00
30.				Boulder	₹ 700.00	10.00 m^3	₹ 7,000.00	12.50%	₹ 875.00
								कुल जोड़	**₹ 39,833.51**

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bhaleta is true and as per records available at GP Bhaleta Office.

Ravinder Kumar

(44)

Bhaleta

Ajay Kumar

सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.)

Page 1 of 1

Subhash Singh
G.R.S. Sbh
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

57

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती किए बिना अपूर्तिकर्ता को सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करने के कारण राशि ₹ 0.69 लाख का अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	चयनित माह में कुल भुगतान की गई राशि	G.S.T T.D.S. कटौती दर	G.S.T T.D.S. की कटौती योग्य राशि
1.	2022-23	05/2022	Anil Pathania, (Govt. Contractor & Genral Order Supplier) V.P.O. Bhaleta & Teh Nurpur, Kangra, GST No. **02CLLPP0350A1ZR**	Aggregate, Sand, Shuttering, Stone & Cement Carriage	₹ 3,69,373.00	2%	₹ 7,387.46
2.	2022-23	05/2022	Sher Singh Interlock Tiles, Village Nanglahar, P.O. Giora & Teh Nurpur, Kangra,GST No. **02DZGPS6141LIZ4**	80mm Interlock Tiles	₹ 20,45,899.00	2%	₹ 40,917.98
3.	2023-24	06/2023	Anil Pathania, (Govt. Contractor & Genral Order Supplier) V.P.O. Bhaleta & Teh Nurpur, Kangra, GST No. **02CLLPP0350A1ZR**	Aggregate, Sand, Shuttering, Stone, Concrete Mixure Machine, Water Tank & Cement Carriage	₹ 6,73,424.16	2%	₹ 13,468.48
4.	2023-24	06/2023	Jai Dev Tiles, Village Bharmoli, P.O. Panjahra & Teh Nurpur, Kangra,GST No. **02AJYPP0490Q2ZD**	Interlock Tiles	₹ 3,66,072.00	2%	₹ 7,321.44
				Total (R/Off)	**₹ 34,54,768.16**	2%	**₹ 69,095.00**

Note: There was no bifurcation of GST Paid in the bill amount, therefore whole bill amount is considered for calculation of GST TDS.

Ravinder Kumar

45

Vijay Kumar

Subhash Singh
G.R.S Clerk
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर, कांगड़ा (हि.प्र.)

Bhaleta

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹ 9.27 लाख की निर्माण सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-2023							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	टिप्पणी
1.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	017/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	23.00 m^3	₹ 34,500.00	दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया
2.				Sand	₹ 1,200.00	12.00 m^3	₹ 14,400.00	
3.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	14/ 14.02.2022	Agg.	₹ 1,500.00	59.00 m^3	₹ 88,500.00	
4.				Sand	₹ 1,200.00	31.00 m^3	₹ 37,200.00	
5.				Stone	₹ 700.00	11.00 m^3	₹ 7,700.00	
6.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	015/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	60.00 m^3	₹ 90,000.00	
7.				Sand	₹ 1,200.00	31.50 m^3	₹ 37,800.00	
8.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	016/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	12.00 m^3	₹ 18,000.00	
9.				Sand	₹ 1,200.00	6.00 m^3	₹ 7,200.00	
10.	Anil Pathania	Nil/ 17.05.2022	018/ 14.02.2022	Aggregate	₹ 1,500.00	8.80 m^3	₹ 13,200.00	
11.				Sand	₹ 1,200.00	5.00 m^3	₹ 6,000.00	
	वित्त वर्ष - 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
12.	Anil Pathania	Nil/ 23.06.2023	162/ 27.03.2023	Sand	₹ 1,200.00	16.00 m^3	₹ 19,200.00	
13.				Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	
14.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	050/ 23.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	
15.				Sand	₹ 1,200.00	11.00 m^3	₹ 13,200.00	
16.				Boulder	₹ 700.00	3.00 m^3	₹ 2,100.00	
17.	Anil Pathania	Nil/ 20.06.2023	043/ 05.08.2022	Agg	₹ 1,500.00	12.00 m^3	₹ 18,000.00	
18.			042/ 05.08.2022	Sand	₹ 1,200.00	5.00 m^3	₹ 6,000.00	
19.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	155/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	31.00 m^3	₹ 46,500.00	
20.				Sand	₹ 1,200.00	17.00 m^3	₹ 20,400.00	
21.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	157/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	26.00 m^3	₹ 39,000.00	
22.				Sand	₹ 1,200.00	13.00 m^3	₹ 15,600.00	
23.	Anil Pathania	Nil/ 20.06.2023	049/ 05.08.2022	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	
24.				Sand	₹ 1,200.00	10.00 m^3	₹ 12,000.00	

UC

Subhash Singh
G.K.S
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

59

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	टिप्पणी
25.	Anil Pathania	Nil/ 21.06.2023	58/ 01.12.2022	Sand	₹ 1,111.00	15.00 m^3	₹ 16,665.00	
26.				Agg 20mm	₹ 1,276.00	7.77 m^3	₹ 9,914.52	
27.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	21.00 m^3	₹ 22,449.00	
28.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	59/ 24.01.2023	Agg. 20mm	₹ 1,276.00	4.00 m^3	₹ 5,104.00	दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया
29.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	12.00 m^3	₹ 12,828.00	
30.				Sand	₹ 1,111.00	17.00 m^3	₹ 18,887.00	
31.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	60/ 13.03.2023	Agg 10mm	₹ 1,281.00	1.00 m^3	₹ 1,281.00	
32.				Agg 20mm	₹ 1,276.00	8.00 m^3	₹ 10,208.00	
33.				Agg 40mm	₹ 1,069.00	10.00 m^3	₹ 10,690.00	
34.				Sand	₹ 1,111.00	22.00 m^3	₹ 24,442.00	
35.				Boulder	₹ 700.00	39.00 m^3	₹ 27,300.00	
36.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	156/ 25.03.2023	Agg	₹ 1,500.00	20.00 m^3	₹ 30,000.00	
37.				Sand	₹ 1,200.00	15.00 m^3	₹ 18,000.00	
38.				Boulder	₹ 700.00	22.00 m^3	₹ 15,400.00	
39.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	153/ 15.03.2023	Sand	₹ 1,200.00	7.00 m^3	₹ 8,400.00	
40.				Agg 20mm	₹ 1,500.00	3.60 m^3	₹ 5,400.00	
41.				Agg 40mm	₹ 1,250.00	9.30 m^3	₹ 11,625.00	
42.				Boulder	₹ 700.00	13.00 m^3	₹ 9,100.00	
43.	Anil Pathania	Nil/ 27.06.2023	57/ 01.12.2022	Sand	₹ 1,200.00	2.00 m^3	₹ 2,400.00	
44.				Agg 20mm	₹ 1,276.00	0.14 m^3	₹ 178.64	
45.				Agg 40mm	₹ 700.00	3.00 m^3	₹ 2,100.00	
	अनुदान शीर्ष : संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)							
46.	Anil Pathania	MPLADS/2023-24/P/1 17.06.2023	104/ 30.10.2022	Sand	₹ 1,500.00	10.00 m^3	₹ 15,000.00	
47.				Aggrigate	₹ 1,200.00	5.00 m^3	₹ 6,000.00	
48.				Boulder	₹ 700.00	10.00 m^3	₹ 7,000.00	
						कुल जोड़	₹ 9,26,872.16	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bhaleta is true and as per records available at GP Bhaleta Ofiice.

Sukhdev Singh
GIRS
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना पेवर ब्लॉक / इंटरलोक टाइल के क्रय हेतु भुगतान की गई राशि ₹ 24.12 लाख का विवरण

वित्त वर्ष - 2022-2023								
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	टिप्पणी
1.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	030/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	9449.00 No.s	₹ 1,60,633.00	हि० प्र० सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portal से उपलब्धता सुनिश्चित न करना एवं दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
2.	Sher Singh	Nil/21.05.2022	015/25.12.2021	Tiles 80mm	₹ 17.00	10395.00 No.s	₹ 1,76,715.00	
3.	Sher Singh	Nil/21.05.2022	016/25.12.2021	Tiles 80mm	₹ 17.00	8415.00 No.s	₹ 1,43,055.00	
4.	Sher Singh	Nil/21.05.2022	014/25.12.2021	Tiles 80mm	₹ 17.00	8910.00 No.s	₹ 1,51,470.00	
5.	Sher Singh	Nil/21.05.2022	018/25.12.2021	Tiles 80mm	₹ 17.00	2673.00 No.s	₹ 45,441.00	
6.	Sher Singh	Nil/21.05.2022	017/25.12.2021	Tiles 80mm	₹ 17.00	7623.00 No.s	₹ 1,29,591.00	
7.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	021/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	3079.00 No.s	₹ 52,343.00	
8.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	033/10.03.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	6743.00 No.s	₹ 1,14,631.00	
9.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	034/21.03.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	7012.00 No.s	₹ 1,19,204.00	
10.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	035/21.03.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	4945.00 No.s	₹ 84,065.00	
11.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	036/21.03.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	6743.00 No.s	₹ 1,14,631.00	
12.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	022/14.03.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	4686.00 No.s	₹ 79,662.00	
13.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	023/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	1619.00 No.s	₹ 27,523.00	
14.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	024/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	1473.00 No.s	₹ 25,041.00	
15.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	025/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	359.00 No.s	₹ 6,103.00	
16.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	037/21.03.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	8391.00 No.s	₹ 1,42,647.00	
17.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	026/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	8009.00 No.s	₹ 1,36,153.00	
18.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	027/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	4116.00 No.s	₹ 69,972.00	
19.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	028/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	4950.00 No.s	₹ 84,150.00	
20.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	029/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	4724.00 No.s	₹ 80,308.00	
21.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	032/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	3079.00 No.s	₹ 52,343.00	
22.	Sher Singh	Nil/17.05.2022	031/23.02.2022	Tiles 80mm	₹ 17.00	2954.00 No.s	₹ 50,218.00	
	वित्त वर्ष 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)							
23.	Jai Dev Tiles	XVFC/2023-24/P/11 15.06.2023	066/ 20.05.2023	Interlock Tile	₹ 21.00	3500.00 No.s	₹ 73,500.00	
24.	Jai Dev Tiles	XVFC/2023-24/P/12 15.06.2023	061/ 20.05.2023	Interlock Tile	₹ 21.00	4752.00 No.s	₹ 99,792.00	
25.	Jai Dev Tiles	XVFC/2023-24/P/13 15.06.2023	062/ 20.05.2023	Interlock Tile	₹ 21.00	4000.00 No.s	₹ 84,000.00	
26.	Jai Dev Tiles	XVFC/2023-24/P/14 15.06.2023	063/ 20.05.2023	Interlock Tile	₹ 21.00	5180.00 No.s	₹ 1,08,780.00	
						कुल जोड़	₹ 24,11,971.00	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bhaleta is true and as per records available at GP Bhaleta Ofiice.

Subhash Singh
G.R.S.
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Ajay Kumar.

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.6 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना GEM Portal से शौचालय के क्रय हेतु भुगतान की गई राशि ₹ 10.50 लाख का विवरण

वित्त वर्ष - 2023-2024								
अनुदान शीर्ष : स्वच्छ भारत मिशन (SBM)								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	Order No./ Date	GEM Invoice No./ Date	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी IGST सहित	Payment Advance No.
1.	SITC Associates, 104, Golden Avenue, Saili Road, Pathankot, Punjab - 145001 GST No. **03ADZFS6733N1Z6**	GEMC-511687737556325/ 05-05-2023	GEM-30725896/ 17-05-2023	SRN 1 - Seater portable toilet 915mmx915mmx1980mm (for 1-seater) with sludge tank (capacity 500ltr) with 75 mm outlet facility through butterfly valve and hosepipe (for 3-seater)	₹ 1,05,000.00	4.00 No.s	₹ 4,20,000.00	C122313048317 Dt. 08-12-2023 for payment of amount ₹8,40,000.00 to the account number **366801000400**, beneficiary **SITC Associates**
2.	B R Impex, 105, Model Town, Jalandhar, Punjab, 145001 GST No. **03CGHPS3895N1ZM**	GEMC-511687773369585/ 13-05-2023	GEM-30724428/ 17-05-2023	GINEE INFRATECH (INDIA) PVT. LTD. 1 - Seater modular toilet with each cubicle of size 915mmx915mmx1980mm (for 1-seater) and with sludge tank (capacity 600ltr) with 100 mm outlet facility through butterfly valve and hosepipe (for 6-seater)	₹ 1,05,000.00	4.00 No.s	₹ 4,20,000.00	
3.	SITC Associates, 104, Golden Avenue, Saili Road, Pathankot, Punjab - 145001 GST No. **03ADZFS6733N1Z6**	GEMC-511687711802757/ 13-05-2023	GEM-30912179/ 24-05-2023	SRN 1 - Seater portable toilet 915mmx915mmx1980mm (for 1-seater) with sludge tank (capacity 500ltr) with 75 mm outlet facility through butterfly valve and hosepipe (for 3-seater)	₹ 1,05,000.00	2.00 No.s	₹ 2,10,000.00	C122321966688 Dt.14-12-2023 for payment of amount ₹2,10,000.00 to the account number **366801000400**, beneficiary **SITC Associates**
						कुल जोड़	₹ 10,50,000.00	

Note : Payment for Sl 1. and 2. is credited in bank account of Sl 1. i.e. SITC Associates, bank account number 366801000400

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bhaleta is true and as per records available at GP Bhaleta Ofiice.

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Abhilasha Rani
प्रधान
ग्राम पंचायत भलेटा

49

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 8.[illegible] व 8.[illegible]" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹ 7.97 लाख से संबंधित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एवं अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

वित्त वर्ष - 2022-2023							
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	UTR No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926522	सीमेंट	₹351.35	82.00 Bags	₹28,810.70
2.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926510	सीमेंट	₹351.35	50.00 Bags	₹17,567.50
3.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926517	सीमेंट	₹351.35	60.00 Bags	₹21,081.00
4.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926483	सीमेंट	₹351.35	14.00 Bags	₹4,918.90
5.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926482	सीमेंट	₹351.35	135.00 Bags	₹47,432.25
6.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926485	सीमेंट	₹351.35	157.00 Bags	₹55,161.95
7.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926529	सीमेंट	₹351.35	120.00 Bags	₹42,162.00
8.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926516	सीमेंट	₹351.35	57.00 Bags	₹20,026.95
9.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926477	सीमेंट	₹351.35	63.00 Bags	₹22,135.05
10.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926476	सीमेंट	₹351.35	59.00 Bags	₹20,729.65
11.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926479	सीमेंट	₹351.35	75.00 Bags	₹26,351.25
12.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926525	सीमेंट	₹351.35	97.00 Bags	₹34,080.95
13.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 21.05.2022	1470926518	सीमेंट	₹351.35	60.00 Bags	₹21,081.00
14.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657018	सीमेंट	₹351.35	17.00 Bags	₹5,972.95
15.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657012	सीमेंट	₹351.35	8.00 Bags	₹2,810.80
16.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657014	सीमेंट	₹351.35	10.00 Bags	₹3,513.50
17.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657747	सीमेंट	₹351.35	4.00 Bags	₹1,405.40
18.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657748	सीमेंट	₹351.35	49.00 Bags	₹17,216.15
19.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657761	सीमेंट	₹351.35	20.00 Bags	₹7,027.00
20.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657022	सीमेंट	₹351.35	26.00 Bags	₹9,135.10
21.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657023	सीमेंट	₹351.35	26.00 Bags	₹9,135.10
22.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657008	सीमेंट	₹351.35	51.00 Bags	₹17,918.85
23.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657006	सीमेंट	₹351.35	36.00 Bags	₹12,648.60
24.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657011	सीमेंट	₹351.35	68.00 Bags	₹23,891.80
25.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342658005	सीमेंट	₹351.35	22.00 Bags	₹7,729.70
26.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657019	सीमेंट	₹351.35	18.00 Bags	₹6,324.30
27.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657995	सीमेंट	₹351.35	170.00 Bags	₹59,729.50
28.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657982	सीमेंट	₹351.35	84.00 Bags	₹29,513.40
29.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657979	सीमेंट	₹351.35	79.00 Bags	₹27,756.65
30.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657972	सीमेंट	₹351.35	43.00 Bags	₹15,108.05
31.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657969	सीमेंट	₹351.35	36.00 Bags	₹12,648.60
32.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657971	सीमेंट	₹351.35	41.00 Bags	₹14,405.35
33.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342657974	सीमेंट	₹351.35	50.00 Bags	₹17,567.50
34.	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Nurpur	Nil/ 17.05.2022	1342658007	सीमेंट	₹351.35	23.00 Bags	₹8,081.05
						जोड़ (I)	₹6,71,078.50
	वित्त वर्ष 2023-24						
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15[TH] FC)						
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	XVFC/2023-24/P/10 14.06.2023	93147/ 06.06.2023	सीमेंट	₹407.00	20.00 Bags	₹8,140.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	XVFC/2023-24/P/4 14.06.2023	93148/ 06.06.2023	सीमेंट	₹407.00	60.00 Bags	₹24,420.00
3.	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	XVFC/2023-24/P/5 14.06.2023	93150/ 06.06.2023	सीमेंट	₹407.00	40.00 Bags	₹16,280.00
4.	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	XVFC/2023-24/P/6 14.06.2023	93149/ 06.06.2023	सीमेंट	₹407.00	40.00 Bags	₹16,280.00
5.	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	XVFC/2023-24/P/7 14.06.2023	93151/ 06.06.2023	सीमेंट	₹407.00	70.00 Bags	₹28,490.00
6.	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	XVFC/2023-24/P/8 14.06.2023	93152/ 06.06.2023	सीमेंट	₹407.00	50.00 Bags	₹20,350.00
7.	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	XVFC/2023-24/P/9 14.06.2023	93145/ 06.06.2023	सीमेंट	₹407.00	30.00 Bags	₹12,210.00
						जोड़ (II)	₹1,26,170.00
						कुल जोड़ (I + II)	₹7,97,248.50

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bhaleta is true and as per records available at GP Bhaleta

50

Subhash Singh
G.R.S
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर, कांगड़ा (हि.प्र.)

63

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण सामग्री खरीद पर राशि ₹ 1.00 लाख के अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	लाभार्थी का नाम	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय	MIS अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय	मजदूरी अनुसार सामग्री पर व्यय योग्य राशी	सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात)
1.	C/o water tank balveer singh s/o mohinder singh rupana larah	1304011503/WC/32086691	श्री बलबीर सिंह सुपुत्र श्री महिंदर सिंह	₹ 65,031.00	₹ 51,638.00	₹ 13,393.00	₹ 8,919.74	₹ 42,718.26
2.	C/o water tank surjit singh s/o kishan singh	1304011503/WC/32092554	श्री सुरजीत सिंह सुपुत्र श्री किशन सिंह	₹ 58,604.00	₹ 46,429.00	₹ 12,175.00	₹ 8,108.55	₹ 38,320.45
3.	C/o cattle shed jagdev singh s/o ranjeet singh vill bhaleta	1304011503/RS/32065099	श्री जगदेव सिंह सुपुत्र श्री रणजीत सिंह	₹ 25,361.83	₹ 21,771.83	₹ 3,590.00	₹ 2,390.94	₹ 19,380.89
		कुल जोड़		**₹ 1,48,996.83**	**₹ 1,19,838.83**	**₹ 29,158.00**	**₹ 19,419.23**	**₹ 1,00,419.60**

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Subhash Singh
GRS.
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

51

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत प्रगतिशील कार्यों हेतु सामग्री खरीद (Interlock Tiles) पर राशि ₹ 6.49 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

Ser.	Work name	Work Code	Description	Qty	Rate	Amount Paid
1.	C/o jeep jogya rastta link road se st mohalla wn 01	1304011503/RC/8000131456	Interlock Tiles 80 mm	7623.00	₹ 17.00	₹ 1,29,591.00
2.	C/o path main road se bhola ram ke ghar tak wn 06	1304011503/RC/8000144315	Interlock Tiles 80 mm	3079.00	₹ 17.00	₹ 52,343.00
3.	C/o jeep jogya rastta school se mehar singh wn 03	1304011503/RC/8000144317	Interlock Tiles 80 mm	6743.00	₹ 17.00	₹ 1,14,631.00
4.	C/o jeep jogya rastta road se shamshan ghat bharmoli	1304011503/RC/8000144318	Interlock Tiles 80 mm	7012.00	₹ 17.00	₹ 1,19,204.00
5.	C/o path main road se anu bala ke ghar tak wn 06	1304011503/RC/8000144327	Interlock Tiles 80 mm	359.00	₹ 17.00	₹ 6,103.00
6.	Completion jeep jogya rastta road se anchal kripal singh house wn 03	1304011503/RC/8000144333	Interlock Tiles 80 mm	8391.00	₹ 17.00	₹ 1,42,647.00
7.	C/o path link road se baldev singh ke ghar tak wn 06	1304011503/RC/8000144338	Interlock Tiles 80 mm	4950.00	₹ 17.00	₹ 84,150.00
					कुल जोड़	₹ 6,48,669.00

Subhash Singh.
GRS.
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Ajay Kumar

परिशिष्ट " ण ", पैरा संख्या " १.३ " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा निर्माण कार्य के लिये खपत से अधिक सामग्री खरीद हेतु राशि ₹0.74 लाख के अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**मनरेगा**		
Work Name:	**C/o Jeepable Road from Kripal Singh House to Shishupal Hari Singh House WN 08**		
Work Code:	**1304011503/RC/8000144320**		
Work Status:	**Completed**		
स्वीकृत राशि:	**₹ 2,32,081.00**		
कुल व्यय राशि :	**₹ 1,91,901.35**		
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**2656 पृ०सं० 74, 75, 87 व 88**		
बिल संख्या / दिनांक	**116/01.02.2024 (Sand)**	Stock Reg Pg. No.	**07**
	116/01.02.2024 (Agg 20 mm)	Stock Reg Pg. No.	**09**
	116/01.02.2024 (Agg 40 mm)	Stock Reg Pg. No.	**09**
	116/01.02.2024 (Boulder)	Stock Reg Pg. No.	**11**
	36/21.03.2022 (Tiles 80mm)	Stock Reg Pg. No.	**05**
Delivery Challan/ Date	**13934/14.03.2022 (Cement)**	Stock Reg Pg. No.	**03**
आपूर्तिकर्ता	**अनिल पठानिया (रेत, बजरी व पत्थर), शेर सिंह (Tiles), H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur (Cement)**		
वाउचर संख्या/दिनांक	**Nil/ 17.05.2022 & Nil/ 27.05.2024**		

क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशी
	1	2	3	5	6	7
1.	Sand	**14.00 m^3**	**4.28.00 m^3**	**9.72 m^3**	**₹1111.00**	**₹10,799.00**
2.	Agg 20 mm	**04.00 m^3**	**4.00 m^3**	**0.00 m^3**	----	----
3.	Agg 40 mm	**10.00 m^3**	**4.00 m^3**	**6.00 m^3**	**₹1069.00**	**₹6414.00**
4.	Boulder	**18.00**	**15.00 m^3**	**3.00 m^3**	**₹766.00**	**₹2298.00**
5.	Cement	**41.00 Bags**	**24.00 Bag**	**06.00 Bags**	**₹351.35**	**₹2,108.00**
6.	Tiles 80mm	**6743.00 Tiles**	**3645.00 Tile**	**3098.00 Tiles**	**₹17.00**	**₹52,666.00**
					कुल योग	**₹ 74,285.00**

53

Subhash Singh
G.R.S.
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Technical Assistant
G.P. ....
Dev. Block ....
Distt. Kangra

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Abhilasha Rani
प्रधान
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

परिशिष्ट " त ", पैरा संख्या "१.३ "के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा निर्माण कार्य के लिये खपत से अधिक सामग्री खरीद हेतु राशि ₹0.35 लाख के अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**मनरेगा**		
Work Name:	**C/o Drain / Path Harijan Basti WN 09**		
Work Code:	**1304011503/IC/8000044967**		
Work Status:	**Completed**		
स्वीकृत राशि:	**₹2,74,703.00**		
कुल व्यय राशि :	**₹2,33,123.85**		
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**2656 पृ०सं० 67, 68 व 88**		
बिल संख्या / दिनांक	**59/24.01.2023 (Sand)**	Stock Reg Pg. No.	**07**
	59/24.01.2023 (Agg 20 mm)	Stock Reg Pg. No.	**09**
	59/24.01.2023 (Agg 40 mm)	Stock Reg Pg. No.	**09**
	030/23.02.2022 (Tiles 80mm)	Stock Reg Pg. No.	**05**
Delivery Challan/ Date	**13905/ 23.02.2022 (Cement)**	Stock Reg Pg. No.	**03**
आपूर्तिकर्ता	**अनिल पठानिया (रेत एवं बजरी), शेर सिंह (Tiles), H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur (Cement)**		
वाउचर संख्या/दिनांक	**Nil/17.05.2022 & Nil/ 27.06.2023**		

क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशी
	1	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**
1.	Sand	**17.00 m³**	**8.00 m³**	**9.00 m³**	**₹1111.00**	**₹9,999.00**
2.	Agg 20 mm	**04.00 m³**	**3.49 m³**	**0.51 m³**	**₹1276.00**	**₹651.00**
3.	Agg 40 mm	**12.00 m³**	**12.00 m³**	**0.00 m³**	-----	----
4.	Cement	**51.00 Bags**	**45.00 Bag**	**06.00 Bags**	**₹351.35**	**₹2,108.00**
5.	Tiles 80mm	**9449.00 Tiles**	**8283.00 Tile**	**1166.00 Tiles**	**₹17.00**	**₹19,822.00**
					कुल योग	**₹ 35,280.00**

54

Subhash Singh
G.R.S.
G.P. Bhalleta
Block Nurpur

Technical Assistant
G.P. ....
Dev. Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.)

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Abhilasha Rani
प्रधान
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

परिशिष्ट " थ ", पैरा संख्या " 9.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु राशि ₹0.65 लाख के अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**मनरेगा**		
Work Name:	**C/o Jeep Jogya Rastta SC Basti se Talota village Bhaleta WN 01**		
Work Code:	**1304011503/RC/8000131437**		
Work Status:	**Completed**		
स्वीकृत राशि:	**₹ 2,78,735.00**		
कुल व्यय राशि :	**₹ 2,60,238.95**		
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**2656 पृ०सं० 77, 78 व 87**		
बिल संख्या / दिनांक	**36/21.03.2022 (Tiles 80mm)**	Stock Reg Pg. No.	**05**
आपूर्तिकर्ता	**शेर सिंह (Tiles)**		
वाउचर संख्या/दिनांक	**Nil/ 17.05.2022 & Nil/ 27.05.2024**		

क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशी
	1	2	3	5	6	7
1.	Tiles 80mm	**8910.00 Tiles**	**5061.00 Tile**	**3849.00 Tiles**	**₹17.00**	**₹65,433.00**
					कुल योग	**₹65,433.00**

55

Subhash Singh
G.R.S.
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Technical Assistant
G.P. ....
Dev. Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.)

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Abhilasha Rani

परिशिष्ट "ढ", पैरा संख्या "1.3" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा निर्माण कार्य के लिये खपत से अधिक सामग्री खरीद हेतु राशि ₹0.17 लाख के अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**मनरेगा**		
Work Name:	**C/o Protection Work Surjeet Singh Tilak Raj Khushi Ram etc. Bhaleta WN 01**		
Work Code:	**1304011503/FP/8000084223**		
Work Status:	**Completed**		
स्वीकृत राशि:	**₹ 2,57,594.00**		
कुल व्यय राशि :	**₹ 1,44,208.00**		
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**2656 पृ०सं० 63 से 64**		
बिल संख्या / दिनांक	**Not Produced**	Stock Reg Pg. No.	**No Entry**
आपूर्तिकर्ता	**हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर**		

1. ***Error: Calculation error in Item No 5***

➢ In Item No. 5 P/L CC 1:5:10, sum total of 02 RD (1x30x0.75x0.75= **16.87 m³** and 1x30x0.60x1.05=**18.90 m³**) was recorded as **36m³** instead of **35.77m³** (**16.87 m³** + **18.90 m³**), resulting consumption of **93 bags** of cement which is as follow

PL CC (1:5:10) **35.77 m³** = 35.77 x 2.60 (Cement Factor) = **93.00 Bags**

However as per MB, consumption of **94 Bags** of cement was recorded resulting excess consumption of **01 Bag** of Cement (**94.00 Bags - 93.00 Bags**).

2. ***Error: Overpayment for purchase of cement in comparison with consumption recorded in MB***

➢ As per MIS, a sum of **₹48,672.00** was paid to H.P. State Civil Supply Co. Ltd. Nurpur for **144 Bags** of cement @ **₹338.00 per bag**. However, during execution of work only **93 bags** of cement were consumed as mentioned above resulting overpayment which is as follow: -

क्र०	सामग्री का नाम	MIS अनुसार क्रय की गयी सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशी
	1	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**
1.	Cement Bags	**144.00 Bags**	**93.00 Bags**	**51.00 Bags**	**₹338.00**	**₹17,238.00**
					कुल योग	**₹17,238.00**

56

Subhash Singh
G.R.S.
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Technical Assistant
G.P. ....
Dev. Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.)

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Abhilasha Rani
प्रधान
ग्राम पंचायत भलेटा

परिशिष्ट "५", पैरा संख्या "१.३" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा निर्माण कार्य के लिये खपत से अधिक सामग्री खरीद हेतु राशि ₹0.03 लाख के अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**मनरेगा**		
Work Name:	**C/o Protection Work / Khudhai Talab WN 06 GP Bhaleta**		
Work Code:	**1304011503/FP/8000092660**		
Work Status:	**Completed**		
स्वीकृत राशि:	**₹ 2,98,585.00**		
कुल व्यय राशि :	**₹ 2,59,557.25**		
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**9951 पृ०सं० 80 से 81**		
बिल संख्या / दिनांक	**Not Produced**	Stock Reg Pg. No.	**No Entry**
आपूर्तिकर्ता	**हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित नूरपुर**		

1. ***Error: Overpayment for purchase of cement in comparison with consumption***

➢ As per MIS, a sum of **₹47,432.25** was paid to H.P. State Civil Supply Co. Ltd. Nurpur for **135 Bags** of cement @ **₹351.35 per bag**. However, during execution of work only **126 bags** of cement were consumed as per record entry in MB resulting overpayment which is as follow: -

क्र०	सामग्री का नाम	MIS अनुसार क्रय की गयी सामग्री	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	अन्तर (2-4)	दर	राशी
	1	2	3	5	6	7
1.	Cement Bags	**135.00 Bags**	**126.00 Bags**	**9.00 Bags**	**₹351.35**	**₹3,162.15**
					कुल योग(R/Off)	**₹3,162.00**

Subhash Singh
G.R.S.
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Technical Assistant
G.P. ....
Dev. Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.)

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Abhilasha Rani
प्रधान
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

परिशिष्ट " न ", पैरा संख्या " 4.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य में अनियमित माप गणना के कारण ₹0.24 लाख के अधिक भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**मनरेगा**		
Work Name:	**C/o Jeep Jogya Rastta Neter Singh Surjeet Ravinder WN 03**		
Work Code:	**1304011503/RC/8000144319**	Work Status:	**Completed**
स्वीकृत राशि:	**₹ 1,84,104.00**	कुल व्यय राशि :	**₹ 1,61,781.60**
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**2656 पृ०सं० 60 से 61**		

1. Error: Recording excess measurement in Item No. 5 in comparison with Item 1,2 & 3

- **Item No. 1**, 3x15x3.00x0.30=40.50 (Cutting in earthwork)
- **Item No. 2**, 1x45x3.00x0.10=13.50 (Excavation)
- **Item No. 3**, 1x45x3.00x0.10=13.50 (Stone Soling)

As per record entries work executed upto 45mtrs. length.

- In Item No. 5 (P/L CC 1:6:12), sum total of 02 RD (1x45x3.00x0.075= **10.125m³** and 1x10x3.00x0.075=**2.25m³**) of **12.375m³** was recorded instead of RD 1x45x3.00x0.075= **10.125m³** in comparison with Item No.1, Item No.2 & Item No.3, resulting error of extra RD of 1x10x3.00x0.075=**2.25m³** in Item No. 5 (P/L CC 1:6:12). (Extra 10mtr Length)

2. Error: Recording excess measurement in Item No. 6 in comparison with Item 1,2 & 3

- In Item No. 6 (P/L CC 1:3:6), sum total of 04 RD (2x45x0.15x0.12= **1.62m³**, 2x3.00x0.15x0.12=**0.108m³**, 2x10x0.15x0.12=**0.36m³** & 2x3.00x0.15x0.12=**0.108m³**) of **2.19m³** was recorded instead of sum total of 02 RD (2x45x0.15x0.12= **1.62m³** & 2x3.00x0.15x0.12=**0.108m³**) of **1.73m³** in comparison with Item No.1, Item No.2 & Item No.3, resulting error of sum total of 02 RD extra (2x10x0.15x0.12=**0.36m³** & 2x3.00x0.15x0.12=**0.108m³**) of **0.46 m³** (**2.19m³ -1.73 m³**) in Item No. 6 (P/L CC 1:3:6)

3. Error: Recording excess measurement in Item No. 7 in comparison with Item 1,2 & 3

- Item No. 7, P/L Vibro compact grey colour interlocking tile 80mm, sum total of 02 RD (1x45x2.70= **121.50m²** & 1x10x2.70=**27m²**) of **148.50m²** was recorded instead of 01 RD 1x45x2.70= **121.50m²** in comparison with Item No.1, Item No.2 & Item No.3, resulting error of 01 RD extra of 1x10x2.70=**27m²** (**148.50m² -121.50m²**) in Item No. 6 (P/L CC 1:3:6)
- Record entries pertaining to above mentioned error as per MB is as follow: -

Measurement as recorded in MB	Measurement which may be recorded in MB	Excess Qty measured
Item No. 5 (P/L CC 1:6:12) 1x45x3.00x0.075= **10.125m³** 1x10x3.00x0.075=**2.25m³** Total = 10.125m³+ 2.25m³= **12.375 M³**	**Item No. 5 (P/L CC 1:6:12)** 1x45x3.00x0.075= **10.125m³**	12.375 M³ - 10.125m³ = **2.25 M³**

58

Technical Assistant G.P. .... Dev. Block Nurpur Distt. Kangra (H.P.)

Subhash Singh GRS G.P. Bhaleta Block Nurpur

Ajay Kumar सचिव ग्राम पंचायत भलेटा वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Abhilasha Rani प्रधान ग्राम पंचायत भलेटा

Item No. 6 (P/L CC 1:3:6) 2x45x0.15x0.12= **<u>1.62</u>m^3** 2x3.00x0.15x0.12=**0.108m^3** 2x10x0.15x0.12=**0.36m^3** 2x3.00x0.15x0.12=**0.108m^3** Total = 1.62+0.108+0.36+0.108=**2.19m^3**	**Item No. 6 (P/L CC 1:3:6)** 2x45x0.15x0.12= **<u>1.62</u>m^3** 2x3.00x0.15x0.12=**0.108m^3** Total = 1.62+0.108=**1.73m^3**	2.19 M^3 – 1.73m^3 = **<u>0.46</u>M^3**
Item No. 7, P/L interlocking tile 80mm 1x45x2.70= **121.50m^2** 1x10x2.70=**27m^2** Total = 121.50m^2+27m^2=**148.50m^2**	**Item No. 7, P/L interlocking tile 80mm** 1x45x2.70= **121.50m^2**	148.50m^2-121.50m^2= **<u>27</u>M^2**
➢This error has resulted in excess payment as under: -		**Amount**

Excess Labour/Material Paid	2.25 M^3 @ ₹330.89 (Labour)	**₹744.50**
	0.46 M^3 @ ₹330.89 (Labour)	**₹152.21**
	27M^2 @ ₹15.34 (Labour)	**₹414.18**
2.25M^3 x 2.20 (Cement Factor 1:6:12) = **4.95Bags**	4.95 Bags @ ₹351.35 (Cement)	**₹1739.18**
0.46M^3 x 4.40 (Cement Factor 1:3:6) = **2.02Bags**	2.02 Bags @ ₹351.35 (Cement)	**₹709.72**
2.71M^3 x 0.47 (Sand Factor) = **1.27 M^3**(2.25+0.46)	1.27 M^3 @ ₹1200.0 (Sand)	**₹1524.00**
2.71M^3 x 0.89 (Agg Factor) = **2.41 M^3**(2.25+0.46)	2.41 M^3 @ ₹1500.00 (Agg)	**₹3615.00**
27M^2 x 33.3 (Tile factor) = **899 Tiles**	899 Tiles @ ₹17.00	**₹15,283.00**
Total Extra Payment due to error in record entry (R/OFF)		**₹24,182.00**

Ravinder Kumar

Technical Assistant
G.P. ....
Dev. Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.)

Subhash Singh
G.R.S.
G.P. ....
Block Nurpur

Ajay Kumar

Abhilasha Rani
प्रधान
ग्राम पंचायत ...

59

परिशिष्ट "प ", पैरा संख्या "१.३ "के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य में अनियमित माप गणना के कारण ₹0.05 लाख के अधिक भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**मनरेगा**		
Work Name:	**C/o Adhura Jeep Jogya Path Pully se laker Talab tak WN 06**		
Work Code:	**1304011503/RC/8000144335**	Work Status:	**Completed**
स्वीकृत राशि:	**₹ 2,80,337.00**	कुल व्यय राशि :	**₹ 2,36,422.15**
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**2656 पृ०सं० 64 से 65**		

Error: Recording excess measurement in Item 5 in comparison with Item 6

➢ In Item No. 5 (P/L CC 1:3:6), Height of **0.12 Mtrs** was recorded instead of **0.08 Mtrs** when compared with Item No. 6 P/L Vibro compact grey colour interlocking tile 80mm i.e., **0.08 Mtrs** thick, resulting error of excess height of **0.04 Mtrs (0.12 Mtrs - 0.08 Mtrs)** in Item No. 5 (P/L CC 1:3:6).

➢ In Item No. 5 (P/L CC 1:3:6), Width of **2.73 Mtrs** was recorded instead of **2.43 Mtrs** (without deduction of 0.30 Mtrs) when compared with Item No. 6 P/L Vibro compact grey colour interlocking tile 80mm i.e. 1x100x**2.43**=**243 m^2** resulting error of excess width of **0.30 Mtrs (2.73 Mtrs – 2.43 Mtrs)** in Item No. 5 (P/L CC 1:3:6).

➢Record entries pertaining to above mentioned error as per MB is as follow: -

Measurement as recorded in MB	Measurement which may be recorded in MB	Excess Qty measured
Item No. 5 (P/L CC 1:3:6) 2 x 100 x 0.15 x **0.12** = **3.60 M^3** 2 x **2.73** x 0.15 x **0.12** =**0.09 M^3** Total = 3.60 + 0.09 = **3.69 M^3**	**Item No. 5 (P/L CC 1:3:6)** 2 x 100 x 0.15 x **0.08** = **2.40 M^3** 2 x **2.43** x 0.15 x **0.08** = **0.05 M^3** Total = 2.40 + 0.05 = **2.45 M^3**	3.69 M^3 - 2.45M^3= **1.24 M^3**

➢This error has resulted in excess payment as under: -		**Amount**
Excess Labour/Material Paid	1.24 M^3 @ ₹330.89 (Labour)	**₹410.30**
1.24M^3 x 4.40 (Cement Factor) = **5.46Bags**	5.46 Bags @ ₹351.35 (Cement)	**₹1918.37**
1.24M^3 x 0.47 (Sand Factor) = **0.58 M^3**	0.58 M^3 @ ₹1200.0 (Sand)	**₹696.00**
1.24M^3 x 0.94 (Agg Factor) = **1.17 M^3**	1.17 M^3 @ ₹1500.00 (Agg)	**₹1755.00**
Total Extra Payment due to error in record entry (R/OFF)		**₹4780.00**

60

Subhash Singh
G.I.R.S.
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Technical Assistant
G.P. ....
Dev. Block Nurpur
Distt Kangra (H.P.)

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

Abhilasha Rani
प्रधान
ग्राम पंचायत भलेटा
तह. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

परिशिष्ट "फ", पैरा संख्या "9.3" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत भलेटा द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य में अनियमित माप गणना के कारण ₹1.06 लाख के अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**मनरेगा**		
Work Name:	**C/o Path main Rastta se Chiv Mohalla WN 01**		
Work Code:	**1304011503/RC/8000109268**	Work Status:	**Completed**
स्वीकृत राशि:	**₹ 2,92,262.00**	कुल व्यय राशि :	**₹ 2,86,296.12**
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**2656 पृ०सं० 60 से 61**		

Error: ***Additional Width and height has been recorded while measuring item no. 4 PLCC 1:3:6 over item no. 1 Excavation work & Item No. 2 Stone soling.***

➢ **MB 2656, PG 41, Item No.** 1 **Excavation has** been measured 80x**3.20**x0.19=48.64M^3, but while measuring PLCC 1:3:6 the width of path has been measured in 10 different width i.e (3.70,4.30,4.50,2.90,4.25,3.60,3.40,3.30,3.15,3.30) in place of max. 3.20 Mtrs.

➢ **MB 2656, PG 41, Item No. 2 Stone soling** has been recorded 1x30x3.00x**0.125** = 11.25 M^3, but while measuring PLCC 1:3:6 in eight different RD of 10 Mtrs each the Stone Soiling has been taken accounted as work already executed or not deducted. That resulted following excess measurement.

➢ **MB 2656, Pg 55, Item No. 1**, Extra RD90/80 of measurement 10x[**3.30**x0.23=(0.724+0.759)/2]=**7.41M^3** was recorded in comparison with **Item No.** 1 **Excavation** 80x**3.20**x0.19=48.64M^3

➢Record entries pertaining to above mentioned error as per MB is as follow: -

Measurement as recorded in MB	Measurement which may be recorded in MB	Excess Qty measured
Item No.4 P/L CC Work 1:3:6 (MB 2656,Pg 41) RD 0/10 1x**3.70**x0.23=0.851 RD10/20 10x[**4.30**x0.23=(0.989+0.851)/2]=9.20M^3 RD20/30 10x[**4.50**x0.23=(1.03+0.989)/2]=10.09M^3 RD30/40 10x[**2.90**x0.23=(0.667+1.03)/2]=8.48M^3 RD40/50 10x[**4.25**x0.23=(0.977+0.667)/2]=8.22M^3 RD50/60 10x[**3.60**x0.23=(0.828+0.977)/2]=9.02M^3 RD60/70 10x[**3.40**x0.23=(0.782+0.828)/2]=8.05M^3 RD70/80 10x[**3.30**x0.23=(0.759+0.782)/2]=7.71M^3 but calculated 7.91 M^3 **Total = 61.01 M^3**	**Item No. 4 P/L CC Work 1:3:6** RD 0/10 1x**3.20**x0.23=0.736 M^3 RD10/80 8x10x[**3.20**x0.23]=58.88M^3 **Total = 59.61 M^3** **Net total** = 59.61 -11.25 M^3* (*Stone soling work has been not deducted in PLCC work)=**48.36 M^3** 61	75.83 M^3 – 48.36 M^3 = **27.47M^3**

Sultan Singh
G.R.S
G.P. Bhaleta
Block Nurpur

Technical Assistant
G.P. ....
Dev. Block Nurpur
Distt. Kangra (H.P.)

Abhilasha Rani

Item No.4 P/L CCWork 1:3:6 (MB 2656,Pg. 55) RD80/80 10x[**3.15**x0.23=(0.759+0.724)/2]=**7.41M³** RD90/80 **(Extra RD)** 10x[**3.30**x0.23=(0.724+0.759)/2]=**7.41M³** **Total = 7.41+7.41= 14.82 M³**		
Total of all RD 61.01 + 14.82 = 75.83 M³ **average width measured 3.64 Mtrs** in place of 3.20 excavation work width.		
➢This error has resulted in excess payment as under: -		**Amount**
Excess Labour/Material Paid	27.47 M³ @ ₹463.32 / M³ (Labour)	**₹12,727.40**
27.47 M³ x 4.40(Cement Factor 1:3:6)=**120.86Bags**	120.86 Bags @ ₹338.88 (Cement)	**₹40,957.03**
27.47 M³ x 0.47 (Sand Factor) = **12.91 M³**	12.91 M³ @ ₹1200.0 (Sand)	**₹15,492.00**
27.47 M³ x 0.89 (Agg Factor) = **24.44 M³**	24.44 M³ @ ₹1500.00 (Agg)	**₹36,660.00**
	Total Extra Payment due to error in record entry (R/OFF)	**₹1,05,836.00**

Abhilasha Rani

Subhash Singh
G.I.R.S
G.I.P. Blalety
Block Nurpur

Ravinder Kumar

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रधान
ग्राम पंचायत भलेटा
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

62

(परिशिष्ट " ङ " पैरा संख्या " 10.1 व 10.2 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत भलेटा, वि०ख० नूरपुर, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176201

(क) आवेदनकर्ताओं से राशि ₹0.02 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली एवं राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु शेष का

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1.	रजनीश पटयाल	20-06-2022	15-07-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2.	गुरवचन सिंह	12-08-2022	26-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
3.	नरेंद्र कुमार	09-12-2022	19-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
4.	प्रतीक सिंह पठानिया	02-12-2022	21-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
5.	अभिषेक	21-09-2023	04-10-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
6.	बंटी कुमार	19-11-2023	09-02-2024	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
7.	प्रेम सिंह	03-03-2024	13-03-2024	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
8.	लखन सिंह	05-03-2024	20-03-2024	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
			कुल योग	₹ 1,800.00	₹ 200.00	₹ 1,600.00

(ख) आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.06 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाने का विवरण:-

1.	वित्त वर्ष 2022-23 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि		₹ 2,600.00
2.	वित्त वर्ष 2023-24 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि		₹ 2,900.00
	कुल योग		₹ 5,500.00

Ajay Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत भलेटा
वि. ख. नूरपुर कांगड़ा (हि.प्र.)

63